न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी एल.आर.गुगरवाल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 14/2016 अपील

1. मु0 राजी पुत्री बालु बैरवा
2. मु0 सायरी पुत्री बालु बैरवा निवासी खूंटिया तह0 रायपुर जिला भीलवाडा

बनाम

1. मु0 सुखी बेवा बालु बैरवा
2. नारायण पुत्र प्रताप बैरवा
3. रतन पुत्र प्रताप बैरवा
4. पोखर पुत्र प्रताप बैरवा
5. अर्जुन पुत्र प्रताप बैरवा
6. श्यामलाल पुत्र प्रताप बैरवा
7. मु0 घीसी बेवा प्रताप बैरवा
8. मु0 मांगी पुत्री उदा बैरवा
9. मु0 ऐजी बेवा उदा बैरवा
10. मु0 नानुबाई बेवा रूपा बैरवा सर्व निवासी खूंटिया तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
11. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाडा बजरिये शाखा प्रबन्धक

–अपीलार्थी

–रेस्पोडेण्ट

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956
विरूद्ध आदेश तहसीलदार, रायपुर बमामले
ग्राम खूंटिया नामान्तरकरण सं0 186 दिनांक 06.12.2010

उपस्थित –
श्री राकेश सुराणा अधिवक्ता – अपीलार्थी की ओर से
रेस्पोडेण्ट की ओर से कोई उपस्थित नहीं

निर्णय

दिनांक 28.02.2017

अपीलार्थी की ओर से यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत विरूद्ध आदेश तहसीलदार रायपुर बमामले नामान्तरकरण सं0 186 दिनांक 6.12.2010 के खिलाफ दिनांक 04.03.2016 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम खूंटिया तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में बालु पुत्र बरदा बैरवा व अन्य खातेदारी अधिकार एवं कब्जे की आराजियात कुल किता 17 कुल रकबा 1.90 हैक्ट. भूमि राजस्व खाता सं. 68 एवं किता 3 कुल रकबा 1.08 हैक्ट. भूमि राजस्व खाता सं. 73 पर स्थित थी । खातेदार बालु पुत्र बरदा बैरवा की मृत्यु होने पर उसकी विरासत का नामान्तरकरण सं. 186 ग्राम

खूंटिया पटवारी हल्का द्वारा भरा गया जो मृतक खातेदार बालु की पत्नी मु0 सुखी के नाम पर ही दिनांक 6.12.2010 को तहसीलदार रायपुर द्वारा स्वीकृत किया गया है जबकि मृतक खातेदार बालु पुत्र बरदा बैरवा की अपीलान्टस भी जायन्दा पुत्रियां होकर उनकी प्रथम श्रेणी की वारिस है , लेकिन बालु का विरासत का नामान्तरकरण केवल अपीलाण्टस की माता मु. सुखी के नाम ही फैसल किया गया है , जो नामान्तरकरण आदेश सर्वथा कानून के विपरीत व गलत होने से अपास्त किये जाने योग्य है । अपीलाण्टस हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत मृतक खातेदार बालु की जायन्दा पुत्रियां होकर उनकी प्रथम श्रेणी की वारिस हैं, जिसमें मृतक बालु की सम्पत्तियों में रेस्पोडेण्ट मु0 सुखी के साथ समान हक व हिस्सा निहित है । मृतक बालु के हिस्से की आराजियात में अपीलाण्टस प्रत्येक का 1/3, 1/3 हिस्सा व रेस्पोडेण्ट सं. 01 का 1/3 हिस्सा निहित है । अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त नामान्तरकरण आदेश अपीलाण्टस को सूचित किये बिना एवं अपीलाण्टस की अनुपस्थिति में दिनांक 6.12.2010 को स्वीकृत कर दिया है । अपीलाण्ट द्वारा पटवारी हल्का से दिनांक 23.02.2016 को नामान्तरकरण की नकलें प्राप्त करने पर पता चला कि अपीलाण्ट के पिता बालु की विरासत का नामान्तरकरण अपीलाण्ट के नाम पर नहीं खुला है । जिससे अपीलाण्टस को दिनांक 6.12.2010 से दिनांक 17.02.2016 तक का समय जानकारी के अभाव में मुजरा दिलाते हुए अपील अन्दर अवधि शुमार फरमाई जावे । इस हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत है । अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश बाबत् नामान्तरकरण सं. 186 ग्राम खूंटिया को निरस्त फरमाया जावे ।

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 17.03.2016 को पंजीबद्ध की जाकर विपक्षी को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय से अपीलाधीन आदेश संबंधी रिकार्ड़ तलब किया गया।

अपीलार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। बहस दौरान अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपील मेमों मे वर्णित कथन को दोहराते हुए निवेदन किया कि मृतक बालु के हिस्से की आराजियात में अपीलाण्टस प्रत्येक का 1/3, 1/3 हिस्सा व रेस्पोडेण्ट सं. 01 का 1/3 हिस्सा निहित है । अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त नामान्तरकरण आदेश अपीलाण्टस को सूचित किये बिना एवं अपीलाण्टस की अनुपस्थिति में दिनांक 6.12.2010 को स्वीकृत कर दिया है, जो नामान्तरकरण

आदेश सर्वथा कानून के विपरीत व गलत होने से अपास्त किये जाने योग्य है ।

पत्रावली का आद्योपान्त गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया और बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम अपील मेमों में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिसीमा अधिनियम धारा 5 के आवेदन पर मियाद के बिन्दु पर विचार किया जा रहा है। प्रार्थी ने मियाद के समर्थन मे शपथ पत्र पेश किया है । न्यायहित में नैसर्गिक प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों को दृष्टिगत रखा जाकर प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करते हुये अपील अपीलार्थी मियाद में शुमार करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार रायपुर ने उभयपक्षों की गैर मौजूदगी में बिना किसी सुनवाई एवं मौके पर कब्जे बाबत कोई जाँच किये बगैर मृतक बालु बैरवा की विरासत का नामान्तरकरण केवल मात्र मु0 सुखी के नाम पर ही आदेश किया है जो राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के विरूद्व होने से अपास्त योग्य है । अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी स्वीकार योग्य ठहरती है । अतएव–

आदेश

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 विरूद्व आदेश तहसीलदार, रायपुर बमामले नामान्तरकरण सं0 186 दिनांक 06.12.2010 के क्रम में खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रायपुर को प्रकरण इन निर्देशों के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि दोनों पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए नये सिरे से विधिक निर्णय पारित करें । निर्णय की प्रति मय तलविदा रिकार्ड़ अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, रायपुर को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 28.02.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/2/17

(एल.आर.गुगरवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा